क्रम-संख्या--302

रजि० नं० एल० डब्लू०/एन० पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०--41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

**भाग--1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शनिवार, 2 अगस्त, 1997**

श्रावण 11, 1919 शक सम्वत्

**उत्तर प्रदेश सरकार**

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1117/सत्रह-वि-1--1(क)-16-1997

लखनऊ, 2 अगस्त, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 2 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997**

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1997]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

चूंकि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि प्रत्येक मंत्री जिसमें मुख्य मंत्री और उप मंत्री भी सम्मिलित हैं, अपनी पदावधि पर्यन्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिए बिना किराये का भुगतान किये लखनऊ में निवास स्थान का, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायगा, उपयोग करने का हकदार होगा;

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) अधिनियम, 1980 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सदस्य, जिसमें संसदीय सचिव भी सम्मिलित हैं, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त और ऐसी अग्रतर अवधि के लिए जैसी कि विहित की जाय लखनऊ में बिना किराये के मुगतान के ऐसे आवास का, जैसा उसे उपलब्ध कराया जाय, उपयोग करने का हकदार होगा;

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप-सभापति प्रत्येक अपनी पदावधि पर्यन्त लखनऊ में बिना किराये का भुगतान किये सुसज्जित निवास स्थान पाने का हकदार होगा;

और चूंकि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रियों, विधायकों, विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति एवं उप-सभापति को लखनऊ में निवास स्थान उपलब्ध कराये ;

और चूंकि मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप-सभापति और विधायकों को समय से निवास-स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह समीचीन समझा गया कि कतिपय आवासों को मंत्री-आवास, अध्यक्ष-आवास, उपाध्यक्ष-आवास, उप सभापति-आवास, और विधायक-आवास के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय;

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 में नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :--

कतिपय आवासों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

"4-क (1) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, राज्य सरकार, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी मंत्री को समय पर निवास-स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रण और प्रबन्ध के अधीन किसी टाइप-छ: आवास को या ऐसे आवास को जो किसी समय किसी मंत्री के अध्यासन में था मंत्री-आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल मंत्री को आवंटित किया जायेगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायेगा ।

(2) यदि धारा 4 की उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट मंत्री से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन मंत्री-आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो, रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से, ऐसी नोटिस की उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो" ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 में नई धारा 16-क का बढ़ाया जाना

3--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

कतिपय आवासों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

"16-क (1) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से राज्य सरकार धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को समय पर आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन विधायक निवास संख्या-1, ए-ब्लाक, दारूलशफा, विधायक निवास

संख्या–2, बी-ब्लाक, दारूलशफा, विधायक निवास संख्या–3, ओ0 सी0 आर0, विधायक निवास संख्या–4, रायल होटल, विधायक निवास संख्या–5, मीरावाई मार्ग, विधायक निवास संख्या–6, पार्क रोड, नामक कालोनी या भवन में किसी आवास को विधायक आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल सदस्य को आवंटित किया जायगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायेगा ।

(2) यदि धारा 16 की उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन विधायक आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो, रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस को उस पर तामील किए जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो" ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 में नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

4–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1951 की धारा 4 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

कतिपय आवासों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

"4–क (1) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, राज्य सरकार, धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को समय पर निवास स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा, राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन किसी टाईप-छः आवास को या ऐसे आवास को जो किसी समय किसी अध्यक्ष या किसी सभापति या किसी उपाध्यक्ष या किसी उप सभापति के अध्यासन में था, अध्यक्ष-आवास या सभापति-आवास या उपाध्यक्ष-आवास या उप सभापति आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को आवंटित किया जायेगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायगा ।

(2) यदि धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष-आवास या सभापति आवास या उपाध्यक्ष-आवास या उप सभापति आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो, रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस को उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है; और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो" ।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव ।

No. 1117 (2)/XVII-V-1—1(KA)-16-1997

*Dated Lucknow, August 2, 1997*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mantri Aur Rajya Vidhan Mandal Adhikari Aur Sadasya Sukh-Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 1997 :

# THE UTTAR PRADESH MINISTERS AND STATE LEGISLATURE OFFICERS AND MEMBERS AMENITIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 1997

(U. P. Act No. 8 of 1997)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981, the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 and the U. P. State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) Act, 1952.*

Whereas the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances, and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 *inter alia* provides that each Minister including Chief Minister and Deputy Minister shall be entitled without payment of any rent to the use throughout the term of his office and for a period of fifteen days thereafter of a residence at Lucknow which shall be furnished and maintained at public expence at the prescribed scale;

And, whereas, the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980 *inter alia* provides that every member including Parlimentry Secretary shall be entitled without payment of rent to the use of such accommodation at Lucknow as may be provided to him for the duration of his membership and such further period as may be prescribed ;

And, whereas, the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 *inter alia* provides that the Speaker, the Chairman, the Deputy Speaker and the Deputy Chairman shall each be entitled to, throughout the term of his office a free furnished residence at Lucknow ;

And, whereas, it is the duty of the State Government to provide residences to Ministers, Legislators, Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly and Chairman and Deputy Chairman of the Uttar Pradesh Legislative Council;

And, whereas, to ensure timely availablity of residence to Minister, Speaker, Deputy Speaker, Chairman, Deputy Chairman and Legislators it has been considered expedient to specify certain accommodations as Minister's residence, Speaker's residence, Chairman's residence, a Deputy Speaker's residence, Deputy Chairman's residence and Legislator's residence;

It is hereby enacted in the Forty-eighth Year of the republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ministers and State Legislature Officers and Members Amenities Laws (Amendment) Act, 1997.

Insertion of New section 4-A in Act No. 14 of 1981.

2. *After* section 4 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981, the following section shall be *inserted*, namely :—

"4-A (1) On and from the commencement of the Uttar Pradesh Ministers and State Legislature Officers and Members Amenities Laws (Amendment) Act, 1997, the State Government may, with a view to ensuring timely availability of residence to a Minister under sub-section (1) of section 4, by a notified order, specify any type-VI accommodation or an accommodation in which a Minister

Special provisions regarding certain accommodations

was in occupation at any time, under the control and Management of the Estate Department of the State Government, as Ministers residence and an accommodation so specified shall be allotted to a Minister only and not to any other person.

(2) The State Government, or an officer authorised by it in this behalf may, if a person other than a Minister referred to in sub-section (1-A) of section 4 is in occupation of an accommodation specified as Minister's residence under sub-section (1) on the basis of any allotment order or otherwise, cancel the allotment order of such person, if any, and by notice in writing require such person to vacate the said accommodation within fifteen days from the date of service upon him of such notice, and if such person fails to vacate the said accommodation within the said period, an officer authorised by the State Government in this behalf may take possession of the accommodation and may for the purpose use such force as may be necessary in the circumstances".

Insertion of New section 16-A in U. P. Act No. 23 of 1980.

3. *After* section 16 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, the following section shall be *inserted*, namely:—

Special provisions regarding certain accommodations

"16-A (1) On and from the commencement of the Uttar Pradesh Ministers, and State Legislatures, Officers, and Members Amenities Laws (Amendment) Act, 1997, the State Government may, with a view to ensuring timely availability of accommodation to a member under sub-section (1) of section 16 by a notified order, specify any accommodation in the colony or building named as Vidhayak Niwas No. 1, A-Block Darulshafa, Vidhayak Niwas No. 2, B-Block Darulshafa, Vidhayak Niwas No. 3, O. C. R., Vidhayak Niwas No. 4, Royal Hotel, Vidhayak Niwas No. 5, Mirabai Marg, Vidhayak Niwas No. 6, Park Road under the control and management of the Estate Department of the State Government, as Legislatures' residence and an accommodation so specified shall be allotted to a member only and not to any other person ;

(2) The State Government, or an officer authorised by it in this behalf may, if a person other than a member referred to in sub-section (1—A) of section 16 is in occupation of an accommodation specified as Members' residence under sub-section (1) on the basis of any allotment order or otherwise, cancel the allotment order of such person if any, and by notice in writing require such person to vacate the said accommodation within fifteen days from the date of service upon him of such notice, and if such person fails to vacate the said accommodation within the said period, an officer authorised by the State Government in this behalf may take possession of the said accommodation and may for the purpose use such force as may be necessary in the circumstances".

Insertion of new section 4-A, in U. P. Act No. 11 of 1952.

4. *After* section 4 of the U. P. State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952, the following section shall be *inserted*, namely :—

Special provisions regarding certain accommodations

"4-A—(1) On and from the commencement of the Uttar Pradesh Ministers and State Legislature Officers, and Members Amenities Laws (Amendment) Act, 1997, the State Government may, with a view to ensuring timely availability of residence to a person referred to in sub-section (1) of section 4, by a notified order specify any type-VI accommodation or an accommodation in which a Speaker or a Chairman or a Deputy Speaker or a Deputy Chairman was in occupation at any time under the control and Management of the Estate Department of the State Government as Speaker's residence, Chairman's residence, Deputy Speaker's residence or Deputy Chairman's residence and an accommodation so specified shall be alloted to a person as the case may be, referred to in sub-section (1) of section 4 only, and not to any other person.

(2) The State Government, or an officer authorised by it in this behalf, may, if a person other than a person referred to in sub-section (2) of section 4 is in occupation of an accommodation specified as Speaker's residence, Chairman's residence, Deputy Speaker's residence or Deputy Chairman's residence under sub-section (1) on the basis of any allotment order or otherwise, cancel the allotment order of such person, if any, and by notice in writing require such person to vacate the said accommodation within fifteen days from the date of service upon him of such notice, and if such person fails to vacate the said accommodation within the said period, an officer authorised by the State Government in this behalf may take possession of the said accommodation and may for the purpose use such force as may be necessary in the circumstances".

By order,
R. D. MATHUR,
*Pramukh Sachiv.*

पी0ए0स0यू0पी0—ए0पी0 117 सा0 विधा0—(879)—1997—850 (मेक0)।